संख्या 27/17/2011-SRS

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतिय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : जनवरी, 2012

23 JAN 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: जेल विभाग के कार्मिक सर्वश्री राज कुमार, अनिल कुमार शर्मा एवं ओ.पी. श्रीवास्तव से संबन्धित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 12-12-2007 का आदेश, जो रिट याचिका संख्या 58/2006 - शेर सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य से लिंक किया गया है - का निपटान ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय में यह केहने का निदेश हुआ है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने अपने दिनांक 12-12-2007 के आदेश में निम्नलिखित आदेश पारित किया था :-

"Keeping in view the circular dated 12-11-2007, the instant appeal is disposed of directing the Committee concerned to decided the appellant's representation in accordance with law by passing a speaking and reasoned order expeditiously and preferably within a period of 3 weeks from the date of receipt of a certified copy of this order and communicate the decision to the appellant within next one month and during this period the appellant shall be allowed to discharge his duties in the State of U.P. on the posts on which he has been promoted and will be paid his salary."

2. अतः इन तीनों याचिओ के प्रत्यावेदनों पर दिनांक 17-10-2011 को आयोजित बेठक में परामर्शी समिति द्वारा विचार किया गया । समिति ने निम्न कारणो से प्रत्यावेदनों को निरस्त करने की संस्तुति की है :-

क्र0 सं0	नाम/पद नाम /तेनाती एवं प्रत्यावेदनों में उल्लिखित कारण	रिट संख्या	संस्तुति
1.	श्री राजकुमार, बंदीरक्षक द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 20-09-2009 में	5565 (S/S)/ 05 याचिका अंतिम आवंटन कनिष्ठता	प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए उत्तराखंड आवंटन कि संस्तुति कि है ।

-2-

	कहा गया है कि वह अल्प वेतन भोगी, मंडलीय संवर्ग का कार्मिक है । नियम विरुद्ध उसका आवंटन उत्तराखंड हेतु किया गया है । पिता का स्वर्गवास हो चुका है । माता अत्यंत वृद्ध है जिसके कारण वह प्राय बीमार रहती है, उनके इलाज़ कि ज़िम्मेदारी प्रार्थी की ही है ।	के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य किया गया था ।	
2.	श्री अनिल कुमार शर्मा, रिजर्व बंदीरक्षक द्वारा अपने प्रत्यावेदन में कहा गया है कि इनकी विधवा माँ कि 70 वर्ष कि आयु एवं रीढ़ कि हड्डी में फ्रेक्चर होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ है तथा उनका पुत्र मिर्गी कि बीमारी से पीडीत है	**3912 (S/S) / 05** श्री शर्मा द्वारा अंतिम आवंटन के विरुद्ध अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था । राज्य परामर्शी समिति कि दिनांक 20-08-2004 को हुई बेठक में प्रत्यावेदन वास्तविक व्यथा के अंतर्गत न पाते हुय समिति ने अस्वीकार कर दिया था ।	प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए उत्तराखंड आवंटन कि संस्तुति कि है ।
3.	श्री ओ. पी. श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है की प्रार्थी की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में की गयी थी । प्रार्थी अपनी माता का इकलोता पुत्र है । माताजी उच्च रक्त रक्तचाप, मधुमेय, सांस एवं गुर्दे के रोग से ग्रसित है । वह पूर्ण अशक्त है एवं जिनकी पूर्ण ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है ।	8539 **(S/S) / 05** याचिका का अंतिम आवंटन निर्धारित नियमो के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के कनिष्ठतम कार्मिक के रूप में किया गया था ।	प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए उत्तराखंड आवंटन कि संस्तुति कि है ।

भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा उपर्युक्त तीन कार्मिकों का अंतिम आवंटन उत्तराखंड के लिए बना रहेगा । संबन्धित कार्मिको से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय.

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहारादून ।